

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम-VIII - क

मवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 73 तिथि- 29/5/18 के संदर्भ में श्रीमति/श्री विजय कुमार भार्गव
के लिए

- (क) आवासीय मवन के निर्माण
(ख) मवन के पुनर्निर्माण
(ग) मवन के परिवर्तन
(घ) विद्यमान मवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) मवन के उपयोग में परिवर्तन

पूर्णियाँ

नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार
शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित

विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट नं०
(सी०एस०) प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) 722 खाता नं० 218 होल्डिंग नं० 47/132

गौव मधुबनी मोहल्ला चरन दाता वार्ड नं० 20/12 के बाबत निम्नलिखित

शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

- (क) भूमि/मवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 442.85 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 6.10 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पूर्णियाँ नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 2.0 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस मूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
(ञ) कोई अन्य शर्त

29/05/18

आदेशानुसार
प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार
मानचित्र प्रभारी
नगर निगम, पूर्णियाँ

मवन उपविधि, 2014